भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)
*****

Office Order No.66 of 2020

Sub: Preventive Measures to contain the spread of COVID-19

Attention is invited to Office Order No.22 & 45 of 2020 indicating detailed guidelines on measures to be taken by all Officers/staff to contain the spread of COVID-19.

2. Recently following has been observed in Board's Office:-

i) Few Officials are either not wearing mask at all times or wearing it improperly i.e., not fully covering mouth and nose particularly in corridors & branches ;

ii) In corridors and sections, staff have been found to be idling or without proper physical distancing of one meter;

iii) Group lunch is being taken with colleagues and friends in corridors and in sections without adhering to proper physical distancing.

iv) Few officials who are having flue like illness (mild cold/cough or fever) are reporting to office.

2.1 The above has been viewed seriously.

3. All HODs and Controlling Officers are accordingly advised to issue suitable directive in this regard to all subordinate officials working under their control for strictly adhering to above aspects and extant instructions as contained in Office Order No. 22 & 45 of 2020. They may also keep a close watch on staff working under their control. Staff not adhering to extant guidelines be suitably counselled and be brought to the notice of undersigned, Dir/GA, Dir/Admn or US/O&M for appropriate action.

3.1 Any violation of above aspect would be viewed seriously and appropriate penal action including banning entry to Rail Bhawan for such officers/staff would be considered.

No.2020/O&M/2/7
Dated: 17/09/2020

(B. Majumdar)
Joint Secretary/Railway Board

All Officers & Staff in Board's Office and at Dayavasti New Delhi.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

2020 का कार्यालय आदेश सं.66

विषय: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती उपाय।

आपका ध्यान 2020 के कार्यालय आदेश सं.22 एवं 45 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।

2 हाल ही में बोर्ड कार्यालय में देखा गया है कि:-

(i) कुछ अधिकारी/कर्मचारी गलियारों और शाखाओं में हर समय या तो मास्क नहीं पहन रहे हैं या इसे अनुचित ढंग से पहन रहे हैं अर्थात मुंह और नाक को अच्छी तरह से नहीं ढक रहे हैं।

(ii) गलियारों और अनुभागों में कर्मचारी इधर-उधर घूमते हुए पाए गए हैं या एक मीटर की शारीरिक दूरी का उचित ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं।

(iii) गलियारों में और अनुभागों में उचित शारीरिक दूरी का पालन किए बिना ही सहयोगियों और मित्रों के साथ समूह में भोजन कर रहे हैं।

(iv) कुछ अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें फ्लू (हल्का जुकाम/खांसी या बुखार) जैसी बीमारी है, कार्यालय आ रहे हैं।

2.1 इसे गंभीरता से लिया गया है।

3. तदनुसार सभी विभागाध्यक्षों और नियंत्रक अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में उक्त निदेशों और 2020 के कार्यालय आदेश सं.22 एवं 45 में यथा अंतर्विष्ट वर्तमान अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए अपने अधीन कार्यरत सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को यथोचित निर्देश जारी करें। वे अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों पर गहन निगरानी भी रखें। जो कर्मचारी मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें उपयुक्त परामर्श दिया जाए और उचित कार्रवाई के लिए अधोहस्ताक्षरी, निदेशक/सामान्य प्रशासन, निदेशक/प्रशासन या अवर सचिव/संगठन एवं पद्धति के ध्यान में लाया जाए।

3.1. उक्त निदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के रेल भवन में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने सहित उचित दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा।

बी मजुमदार

(बी. मजुमदार)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

सं.2020/ओ एंड एम/2/7
दिनांक: 17.09.2020

बोर्ड कार्यालय और दयाबस्ती नई दिल्ली में सभी अधिकारी और कर्मचारी।